वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–4
(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. रायपुर द्वारा बालोद जिले के बालोद वन मंडल अंतर्गत 5.530 हे. वन भूमि (आरक्षित वन 4.440 हे. एवं संरक्षित वन 1.090 हे.) लोहारा–रेंगाडबरी–जुनवानी–चौंकी 2 लाईन मार्ग निर्माण एवं उन्नयन के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, दूर्ग वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 06/08/2021
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
वन बल प्रमुख ,छत्तीसगढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉपलेक्स, अटल नगर, नवा रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–683/ 1899 रायपुर, दिनांक 10/08/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः– **Diversion of Forest land for non-forest purpose under forest conservation Act. 1980 proposel for widening & upgradation to 2 lane of Lohara Rengadabri junnapani Chowki Road area 5.530. regarding.**
(पंजीयन क्रं.FP/CG/Road/24943/2017)

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक अधि/ 3930 दिनांक 17.06.2021 एवं पत्र क्रमांक/ 5453 दिनांक 03.08.2021

=0=

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग द्वारा छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम लिमिटेड का लोहारा–रेंगाबहरी–जूनापानी–चौंकी मार्ग निर्माण एवं दोहरीकरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत रकबा 5.530 हे. का निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार व्यपवर्तन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेकलिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार हैः–

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 10) – आवेदनकर्ता, परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. रायपुर द्वारा बालोद जिले के बालोद वन मंडल अंतर्गत 5.530 हे. वन भूमि (आरक्षित वन 4.44 हे. एवं संरक्षित वन 1.090 हे.) लोहारा–रेंगाडबरी–जुनवानी–चौंकी मार्ग दोहरणीकरण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 11 से 13) – वन मंडलाधिकारी कोरबा द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक – FP/CG/Road/24943/2017 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 11.06.2017 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 29000 रूपये जमा कराया गया है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 14) – बालोद जिले के बालोद वन मंडल अंतर्गत 5.530 हे. वन भूमि (आरक्षित वन 4.44 हे. एवं संरक्षित वन 1.090 हे.) लोहारा–रेंगाडबरी–जुनवानी–चौंकी मार्ग दोहरणीकरण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 15) – प्रस्तावित परियोजना में 2.120 हे. गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है। विवरण प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 16 से 20) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 21 से 32) – वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 33 से 40) – प्रपत्र – 4 में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 5.530 हे. वन भूमि के लिए परियोजना की प्रशासकीय लागत 11924.928 लाख़ बतायी गई है। प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व 0.2 से 0.5 तक है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 41 से 64) – बालोद जिले के बालोद वन मंडल अंतर्गत प्रस्तावित लोहारा–रेंगाडबरी–जुनवानी–चौंकी मार्ग दोहरणीकरण के 5.530 हे. वन भूमि हेतु प्रस्ताव का Executive summary संलग्न संलग्न है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 65 से 67) – यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 68) – प्रस्तावित लोहारा–रेंगाडबरी–जुनवानी–चौंकी मार्ग दोहरणीकरण के 5.530 हे. वन भूमि हेतु वन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 69 से 75) – पर्यावरण संरक्षण क्लीयरेंस प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं इस हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 76 से 129) – आवेदित क्षेत्र में 1691 वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है।

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 130 से 139) – प्रस्तावित परियोजना का कास्ट बेनीफिट एनालिसिस तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 140 तक) – प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना हेतु गैर वन भूमि / निजी भूमि प्रस्तावित नहीं है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 141) – गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा संलग्न है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 142 से 178 तक) – आवेदित वन भूमि 5.530 हे. के एवज में नारंगी वन क्षेत्र कामता, खसरा क्रमांक 11/01 में 11.060 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित है। 10 वर्षीय परियोजना प्रतिवेदन संलग्न है। वन मंडलाधिकारी, बालोद के प्रतिवेदन अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित नारंगी क्षेत्र कार्य आयोजना में सम्मिलित नहीं है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 179 से 181) – वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का वन मंडलाधिकारी, बालोद वन मंडल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 182) – वन मंडलाधिकारी दुर्ग वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 183) वन मंडलाधिकारी दुर्ग वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः उल्लंघन के लिए विभाग का कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 184) – बालोद जिले के बालोद वन मंडल अंतर्गत प्रस्तावित लोहारा–रेंगाडबरी–जुनवानी–चौंकी मार्ग दोहरणीकरण के 5.530 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 185) – प्रस्तावित परियोजना के लिए गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, बालोद एवं आवेदक विभाग का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 186) – प्रस्तावित परियोजना मार्ग निर्माण से संबंधित होने के कारण लागू नहीं होगा। अतः कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान आवश्यक नहीं है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 187) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 188) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 189) – प्रस्तावित क्षेत्र में किसी को उक्त क्षेत्र में से हटाया नहीं गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 190 से 204) – भाग–2 पर वन मंडलाधिकारी, दुर्ग वन मंडल द्वारा दिनांक 08.04.2021 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी बालोदवन मंडल के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त द्वारा दिनांक 17.06.2021 से प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 205) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है वन मंडलाधिकारी बालोद वन मंडल एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 206 से 210) – प्रस्तावित लोहारा–रेंगाडबरी–जुनवानी–चौंकी मार्ग दोहरणीकरण के 5.530 हे. वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले ग्राम एवं ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 211) – दुर्ग जिले का कुल वन भूमि 862.923 वर्ग कि.मी. है।

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 212) – बालोद जिले के बालोद वन मंडल में 12 प्रकरणों में 688.653 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है।

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 213) – जिला बालोद के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत इस केटेगरी (श्रेणी) के कोई भी प्रकरण वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु स्वीकृत नहीं है।

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 214) – प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. के परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य स्थित नहीं है अथवा प्रस्तावित भी नहीं है। वन मंडलाधिकारी बालोद वन मंडल का एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 215) – खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 216 से 220) – भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 05.09.2019 के अनुक्रम में वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र द्वितीय चरण स्वीकृति के पूर्व जमा किया जावेगा। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 221 से 222) – राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 223 से 224) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 225 से 227) – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 38. A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 228 से 230) – इस क्षेत्र में बायोटाईट सिस्ट, क्लोराईट माईकासिस्ट आदि पायी जाती है। वन मंडलाधिकारी, बालोद एवं आवेदक संस्थान का संयक्त प्रतिवेदन संलग्न है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 231) – वन मंडलाधिकारी, बालोद वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित मार्ग की किसी भी प्रकार की भूमि पर कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, प्रस्तावित परियोजना का कार्य वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति जारी होने पर ही किया जायेगा।

बि.क्र. 40. Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 232) – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 233 से 234) – बिन्दु क्रमांक –2 पर विस्तृत विवरण दिया गया है।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 235) – प्रभावित 5.530 हे. आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है, प्रभावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि पर किसी भी प्रकार का वन्य प्राणी प्रभावित नहीं हो रहा है। इस कारण से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवाश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 236) – प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा। तदाशय का वन मंडलाधिकारियों का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 237 से 289) – अन्य कोई अतिरिक्त अभिलेख संलग्न नहीं है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– 1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में

2. डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट 2 प्रतियों में

3. टाईम लाईन

4. प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित भाग–4

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115– 683/ 1900 रायपुर, दिनांक 16 /08/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

– **मुख्य वन संरक्षक**, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
– **वन मंडलाधिकारी**, बालोद वन मंडल, बालोद, छत्तीसगढ़।
– **परियोजना प्रबंधक,** छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम लि. रायपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़